

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./2021-22/6680

दिनांक : 24/12/2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा
समस्त जिले।

विषय- वालंटियर (Volunteer) प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर वालंटियर्स का चयन कर शालादर्पण पोर्टल पर फीडिंग करने के क्रम में।
सन्दर्भ- परिषद् के दिशा-निर्देश क्रमांक 6578 दिनांक 22.12.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में दिशा-निर्देशानुसार वालंटियर्स (Volunteer) प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर 10-20 वालंटियर्स का चयन किया जाना है। जिसमें साक्षर वालंटियर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी/अधिकारी, भूतपूर्व विद्यार्थी, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाविद् एवं अन्य शामिल हो सकते हैं। वालंटियर (Volunteer) प्रशिक्षण हेतु शालादर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल विकसित किया गया है जिसमें विद्यालय स्तर पर चयनित सभी वालंटियर (Volunteer) की सूचना फीड की जानी है।

अतः आप अपने जिले में संचालित समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को निर्देशित करें कि आप अपने विद्यालय में 10-20 वालंटियर्स का दिशा-निर्देशानुसार चयन कर दिनांक 31.12.2021 तक आवश्यक रूप से शालादर्पण पोर्टल पर इनकी फीडिंग करना सुनिश्चित करें ताकि वालंटियर (Volunteer) का एक दिवसीय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन समय पर किया जा सके।

(डॉ० रश्मि शर्मा)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक 24/12/2021

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति /2021-22/6680

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक - द्वितीय, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
4. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (सामु. गति.)